उत्तर प्रदेश को नए मेडिकल कॉलेजों की अनुमति मिली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC)] **ने उत्तर प्रदेश में सात नए मेडिकल कॉलेजों** को अनुमति दी और दो मौजूदा कॉलेजों में **सीटें बढ़ाई।**

मुख्य बिंदु

- **बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर** में स्वायत्त राज्य मेडिकल कॉलेजों के लिये कुल मिलाकर **600 MBBS सीटों** की अनुमति जारी की गई है।
- इसके अतिरिक्त, आगरा और मेरठ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या में क्रमशः 72 तथा 50 की वृद्धि की गई है, **जिससे आगरा मेडिकल कॉलेज में कुल सीटें 200 एवं मेरठ मेडिकल कॉलेज में 150 हो गई हैं।**

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission- NMC)

- NMC **भारत में चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास के लिये सर्वोच्च नियामक निकाय है।**
- इसकी **स्थापना वर्ष 2020 में** [राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019] द्वारा **भारतीय चिकित्सा परिषद (Medical Council of India- MCI) के स्थान** पर की गई थी।
- इसमें चार स्वायत्त बोर्ड शामिल हैं: स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड तथा नैतिकता एवं चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड।
  - NMC के पास एक चिकित्सा सलाहकार परिषद भी है, जो चिकित्सा शिक्षा और प्रैक्टिस से संबंधित मामलों पर आयोग को सलाह देती है।
- NMC प्रमुख स्क्रीनिंग परीक्षाओं जैसे कि NEET-UG, NEET-PG और FMGE के संचालन एवं देख-रेख के लिये ज़िम्मेदार है।
- यह **चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण के मानकों एवं गुणवत्ता,** चिकित्सकों के पंजीकरण तथा नैतिकता एवं चिकित्सा संस्थानों के मूल्यांकन व रेटिंग को भी नियंत्रित करता है।
- NMC ने प्रतिष्ठित [विश्व चिकित्सा शिक्षा महासंघ (World Federation for Medical Education- WFME)] मान्यता भी प्राप्त की है, जिसका अर्थ है कि एनएमसी द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा डिग्रियों को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है।
  - WFME की स्थापना वर्ष 1972 में विश्व चिकित्सा संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य संगठनों द्वारा की गई थी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uttar-pradesh-gets-permission-for-new-medical-colleges